न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

दमा नं0 91 /2024 तारीख रजू :- 30/5/2024

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

ाल आई0डी0 नम्बर 2024/168

उनवान

ामाधार उर्फ जमादार सिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन ला करौली राज0

—वादी

बनाम

नसिंह पुत्र सुगरसिंह जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण 07

दिनांक	फर्द अहकाम	
30/5/2024	यह दावा वादीगण की ओर से श्री संजय शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.07.2024 को पेश हो। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
24/6/24	पत्रावली आज मिसल तलबी के प्रान्यत्र पर पेश हुई। वादी वकील उप0 वादी वकील ने अवगत कराया कि वादी वकील व वादी प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने ~~[illegible]~~ नहीं चाहते हैं। वादी व वादी वकील ने प्रकरण नोटप्रेस में खारिज कराना चाहा अतः मु0 नं0 91/24 दावा [illegible] नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] नम्बर से कम हो।	Not press Adv. 24.6.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested